

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 726] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2017/फाल्गुन 23, 1938 No. 726] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2017/PHALGUNA 23, 1938

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9, मार्च, 2017

का.आ. 807(अ).—केन्द्र सरकार, विकास परिषद् (क्रियाविधि) नियम, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के खण्ड 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए एतद् द्वारा अर्थमूविंग, निर्माण और खनन मशीनरी के सदस्य नियुक्त करती है:—

अर्थमूविंग, निर्माण और खनन मशीनरी उद्योग विकास परिषद

(क) मंत्रालयों/सरकारी विभागों के प्रतिनिधि

1.	सचिव, भारी उद्योग विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली	—अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव (अर्थमूविंग, निर्माण और खंनन मशीनरी उद्योग के प्रभारी) भारी उद्योग विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली	—सदस्य सचिव
3.	संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	—सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (राजमार्ग), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	—सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली	—सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, साऊथ ब्लाक, नई दिल्ली	—सदस्य
7.	आर्थिक सलाहकार, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली	—सदस्य
8.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	—सदस्य
9.	महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजमार्ग 32, सरदार पटेल नगर, धनबाद - 836001,	—सदस्य

(평)	अर्थमूविंग, निर्माण और खनन मशीनरी उद्योग के प्रतिनिधि	•
10.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, प्लांट प्लाजा रोड, धुर्वा, रांची – 834004, झारखंड	सदस्य
11.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल), बीईएमएल सोधा, 23/1, 4वां मेन, एस. आर. नगर, बैंगलुरू-560027, कर्नाटक	—सदस्य
12.	केटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मि. सत्य (मार्केटिंग कम्यूनिकेशन), आरएमजेड एनएक्सटी केम्पस, नं.1ए, तृतीय तल, व्हाइटफील्ड, वैंगलुरू-560048	—सदस्य
13.	प्रबंध निदेशक, टाटा हिटाची कन्स्ट्रक्शन मशीनरी, जुबली बिल्डिंग, 45 म्यूजियम रोड, बैंगलुरू-560025, कर्नाटक	—सदस्य
14.	उपाध्यक्ष, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, एल एंड टी हाउस, एन. एम. मार्ग, बालार्ड एस्टेट, मुंबई-400001, महाराष्ट्र	—सदस्य
15.	उपाध्यक्ष, वोल्वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेन्ट, यालाचहेल्ली, तवारकेरे, पोस्ट 562122, होसाकोटे, कर्नाटक	—सदस्य
16.	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कोबेल्को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एच-200, सेक्टर 63, नोएडा- उ.प्र. 201307	—सदस्य
17.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अशोक लेयलैंड जॉन डीरी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी प्रा. लि., 7वां तल, वेस्ट विंग, श्यामला टावर, 136 अरकोट रोड, शालीग्रामम, चेन्नई-600093, तमिलनाडु	—सदस्य
(ग)	एसोसिएशनों के प्रतिनिधि	
18.	अध्यक्ष, इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईसीईएमए), मार्फत सी।।, मन्तोश सोन्धी सेन्टर, 23, संस्थानिक क्षेत्र, लोधी रोड, नई दिल्ली	—सदस्य
19.	अध्यक्ष, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जी-I/जी-20, कॉमर्स सेन्टर, जे-दादाजी रोड, तारादेवी, मुंबई-400034	—सदस्य
(ঘ)	प्रयोक्ता उद्योग/प्रमुख परियोजना प्राधिकरणों के प्रतिनिधि	
20.	महानिदेशक, बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क भवन, रिंग रोड, नारायणा, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली	—सदस्य
21.	अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जी 5 और 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली	—सदस्य
22.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, 10, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता- 700 001, पश्चिम बंगाल	—सदस्य
23.	प्रबंध निदेशक, डेडिकेटेड कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पांचवां तल, प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग काम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110001	—सदस्य
(ड∙)	अन्य संगठनों के प्रतिनिधि	
24.	निदेशक, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सर्वे सं. 102, वेटल हिल, ऑफपॉड रोड, कोथरूड, पुणे- 411038, महाराष्ट्र	—सदस्य

केन्द्र सरकार, विकास परिषद (क्रियाविधि) नियम 1952 के नियम 2 की धारा (ग) के अनुसरण में, संयुक्त सचिव, हेवी इंजीनियरिंग एवं मशीन टूल्स उद्योग के प्रभारी, भारी उद्योग विभाग, भारी उदयोग और लोक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली को उक्त विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करने हेतु एतद् द्वारा नियुक्त करती है।

> [फा. सं. 1/3/2016-एचईएण्डएमटी] एन. शिवानन्द, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2017.

S.O. 807(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints, for a period of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette, the following persons to be members of the Development Council for the Earthmoving, Construction and Mining Machinery Industry, namely:—

Development Council for Earthmoving, Construction and Mining Machinery Industry

-	Develop	ment Council for Ear timoving, Constitution and Winning Watermery Industry	
((A)	Representation from the Ministries/Government Departments	
	1.	Secretary to the Government of India, Department of Heavy Industry, Udyog Bhavan, New Delhi.	Chairman
	2.	Joint Secretary (in-charge of Earthmoving, Construction and Mining Machinery), Department of Heavy Industry.	—Member-Secretary
	3.	Joint Secretary, Department of Revenue, North Block, New Delhi.	—Member
	4.	Joint Secretary, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhavan, New Delhi.	Member
	5.	Joint Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhavan, New Delhi.	—Member
	6.	Joint Secretary, Department of Defence Production, South Block, New Delhi.	—Member
	7.	Economic Adviser, NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi.	Member
	8.	Chairman, National Building Construction Corporation Limited, NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003.	—Member
	9.	Director General, Directorate General of Mines Safety, National Highway-32, Sardar Patel Nagar, Dhanbad-836001, Jharkhand.	—Member
	(B)	Representation from Earthmoving, Construction and Mining Machinery Industry	
	10.	Chairman and Managing Director, Heavy Engineering Corporation Limited, Plant Plaza Road, Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand.	—Member
	11.	Chairman and Managing Director, Bharat Earthmovers Limited (BEML), BEML Soudha, 23/1, 4th Main, S.R. Nagar, Bangalore-560027, Karnataka.	—Member
	12.	Caterpillar India Private Limited, Mr. Sathya (Marketing Communications), RMZ NXT Campus, No.1A, 3 rd Floor, Whitefield, Bengaluru-560048.	—Member
	13.	Managing Director, Tata Hitachi Construction Machinery, Jubilee Building, 45, Museum Road, Bangalore-560025, Karnataka.	—Member
	14.	Vice President, Larsen and Toubro Limited, L&T House, N.M. Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001, Maharashtra.	Member
	15.	Vice President, Volvo Construction Equipment, , Yalachahally Tavarekere, Hosakote, Karnataka. PIN – 562122.	—Member
	16.	Managing Director and Chief Executive Officer, Kobelco Construction Equipment, H-200, Sector-63, Noida-201307, Uttar Pradesh.	—Member
	17.	Chief Executive Officer, Ashok Leyland John Deere Construction Equipment Company Private Limited, 7 th Floor, West Wing, Shyamala Tower, 136, Arcot Road, Saligramam, Chennai-600 093, Tamil Nadu.	—Member
	(C)	Representation from Associations	
	18.	President, Indian Construction Equipment Manufacturers' Association (ICEMA), C/o C-II, Mantosh Sondhi Centre, 23, Industrial Area, Lodhi Road, New Delhi.	—Member

(E) Representation from other organization

Director, Automotive Research Association of India,
 Survey No. 102, Vetal Hill, Off. Paud Road, Kothurd, Pune-411038.

----Member

In pursuance of clause (c) of rule 2 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints the Joint Secretary, in-charge of Heavy Engineering and Machine Tools, Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, New Delhi to carry out the functions of the Secretary to the said Development Council.

[F. No. 1/3/2016-HE&MT]
N. SIVANAND, Jt. Secy.

SARVESH KUMAR Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.03.15 20:41:57 +0530*

: ..